न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी सुभाष यादव आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/86/2024

बउनवान

1. शिवानी पुत्री स्व0 दिनेश कुमार जाति राजपुत उम्र करीब 4 साल नाबालिग सरपरस्त माता अन्नु पत्नी स्व0 दिनेश कुमार निवासी खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
2. परी पुत्री स्व0 दिनेश कुमार जाति राजपुत उम्र करीब 01 साल नाबालिग सरपरस्त माता अन्नु पत्नी स्व0 दिनेश कुमार निवासी खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

———वादीयागण

बनाम

1. मेघनाथ पुत्र मेहरचंद उम्र करीब 60 साल जाति राजपूत निवासी खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
2. संदीप पुत्र मेघनाथ उम्र करीब 35 साल जाति राजपूत निवासी खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
3. दीपू पुत्र मेघनाथ उम्र करीब 30 साल जाति राजपूत निवासी खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
4. उप पंजियक महोदय गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

———प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,188
राज0 काश्त0 अधिनियम 1995

उपस्थित :—

श्री सतीश भारद्वाज— अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 04.07.2025

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1039 रकबा 0.1264 है0, 1067 रकबा 0.0632 है0, 1310/1068 रकबा 0.0885 है0, 1178 रकबा 0.1643 है0, 1193 रकबा 0.2276 है0

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ सत्यमेव जयते जिला अलवर (राज०)

एवं आराजी खसरा नं. 1165 रकबा 0.6448 है0 वाके ग्राम खेड़ामहमूद तह0 गोविन्दगढ जिला अलवर में स्थित है। जिसमें आराजी खसरा नं. 1039 रकबा 0.1264 है0, 1067 रकबा 0.0632 है0, 1310/1068 रकबा 0.0885 है0 का 1/2 भाग खसरा नं. 1178 रकबा 0.1643 है0 का 1/8 भाग व खसरा नं. 1165 रकबा 0.6448 है0 का 13/153 भाग जो हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादीया के दादा प्रतिवादी सं. 01 मेघनाथ के नाम दर्ज है। जो हिस्सा विवादित है जिसे आगे चलकर आराजी मुतनाजा के नाम से संबोधित किया जा रहा है। बाकि हिस्सा मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज अन्य सह खातेदारों का है जिनसे हमारा घरेलू तौर पर बटवारा हो रहा है। उनसे कोई विवाद नही है, इसलिए उन्हे अनावश्यक पक्षकार नही बनाया गया है।

यह है कि प्रतिवादी सं. 1 मेघनाथ वादनीगण का सगा बाबा है। जो आराजी बाबा मेघनाथ के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है वो पुस्तैनी पैतृक संपत्ति है जो बुजुर्ग मेहरचंद से प्राप्त शुदा सम्पत्ति है। इस प्रकार पैतृक संपत्ति होने से वादनीगण का आराजी मुतनाजा में 1/4 भाग वादनीगण एवं 1/4–1/4 भाग पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 का बनता है। यह है कि वादनीगण का पिता दिनेश कुमार दिनांक 07.11.2024 को फौत हो गया है। जिसके मरने के बाद से प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के मन में बेइमानी आ रही है। जो आराजी मुतनाजा को दीगर व्यक्तियों को रहन बय मुन्तकिल कर हम वादनीगण को हमारे हक व हकूको से वंचित करना चाहते है।

अतः वादीयागण द्वारा दावा इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं. 1039 रकबा 0.1264 है0, 1067 रकबा 0.0632 है0, 1310/1068 रकबा 0.0885 है0 का 1/8 भाग खसरा नं. 1178 रकबा 0.1643 है0 का 1/32 भाग व खसरा नं. 1165 रकबा 0.6448 है0 का 13/612 भाग के अनुसार वाके ग्राम खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ का वादनीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो आराजी मुतनाजा में वादीगण के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा न करे। तथा किसी

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

दीगर प्रकार रहन बय व मुंतकिल ना करे तथा प्रतिवादी सं. 4 आराजी मुतनाजा का रहनामा, बयनामा आदि दस्तावेज तस्दीक न करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल के उपस्थित नही आये अतः इनके विरूद्ध दिनांक 11.12.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल लायी गयी।

वादीयागण ने अपने दावा के समर्थन में जमाबंदी संवत 2075 खसरा नं. 1165 **प्रदर्श–1**, जमाबंदी संवत 2072–75 खसरा नं. 1075, 1067, 1310/1368 **प्रदर्श–2**, जमाबंदी संवत 2072–75 खसरा नं. 1178, 1193 **प्रदर्श–3**, नकल जमाबन्दी संवत् 2064–68 **प्रदर्श–4**, आधार कार्ड अन्नू पत्नि स्व. दिनेश **प्रदर्श–5**, वाके ग्राम खेड़ामहमूद तह0 गोविन्दगढ़ दावे के साथ पेश कर प्रदर्शित कराये है।

वादीयागण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह अन्नू पत्नी स्व0 दिनेश **पी डब्ल्यू–1**, गवाह निर्मला पत्नी रामदास **पी डब्ल्यू–2** के शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

हमने वादीयागण के विद्ववान अधिवक्ता की बहस सुनी अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को ही दोहराया व कथन किया कि आराजी मुतनाजा पैतृक संपत्ति है जो वादनीगण के बाबा प्रतिवादी सं. 1 के नाम मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त आराजी मुतनाजा में वादनीगण का हिस्सा है और वादनीगण अपने हिस्से अनुसार आराजी मुतनाजा पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। अधिवक्ता वादीयागण ने आराजी खसरा नं. 1039 रकबा 0.1264 है0, 1067 रकबा 0.0632 है0, 1310/1068 रकबा 0.0885 है0 का 1/8 भाग खसरा नं. 1178 रकबा 0.1643 है0 का 1/32 भाग व खसरा नं. 1165 रकबा 0.6448 है0 का 13/612 भाग के अनुसार वाके ग्राम खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ की भूमि का वादनीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाने बाबत निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस का मनन किया। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2064—67 (**प्रदर्श—4**) वाके ग्राम खेड़ामहमूद तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर पर अंकित नोट अनुसार खसरा संख्या 1178, 1193 में मेहरचंद पुत्र लीलाराम हिस्सा 1/4 का विरासती नामान्तकरण मेघनाथ पुत्र मेहरचंद हिस्सा 1/6 दर हिस्सा 1/4 स्वीकृत हुआ। इस प्रकार खसरा संख्या 1178, 1193 में मेघनाथ पुत्र मेहरचंद को पैतृक संपत्ति के रूप में 1/24 हिस्सा प्राप्त हुआ। खसरा 1039, 1067, 1068 मिन 2 में मेहरचंद पुत्र लीलाराम कोम ओड का विरासती नामान्तकरण मेघनाथ पुत्र मेहरचंद हिस्सा 1/6 स्वीकृत हुआ। खसरा 1165 बाबत पैतृक संपत्ति का कोई दस्तावेज पत्रावली पर संलग्न नही है। संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार वादीयागण के पिता की मृत्यु हो चुकी है। अतः दावा वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः दावा वादी अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादीगण को वाके ग्राम खेड़ामहमूद हाल तहसील गोविन्दगढ़ के आराजी खसरा नं. 1178, 1193 में 1/96 भाग में समभाग एवं खसरा 1039, 1067, 1310/1068 कुल रकबा 0.2781 है0 में 1/24 भाग में समभाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गोविन्दगढ को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

आज दिनांक 04.07.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुभाष यादव आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/86/2024

बउनवान

1. शिवानी पुत्री स्व0 दिनेश कुमार जाति राजपुत उम्र करीब 4 साल नाबालिग सरपरस्त माता अन्नु पत्नी स्व0 दिनेश कुमार निवासी खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
2. परी पुत्री स्व0 दिनेश कुमार जाति राजपुत उम्र करीब 01 साल नाबालिग सरपरस्त माता अन्नु पत्नी स्व0 दिनेश कुमार निवासी खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

------डिक्रीदारान

बनाम

1. मेघनाथ पुत्र मेहरचंद उम्र करीब 60 साल जाति राजपूत निवासी खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
2. संदीप पुत्र मेघनाथ उम्र करीब 35 साल जाति राजपूत निवासी खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
3. दीपू पुत्र मेघनाथ उम्र करीब 30 साल जाति राजपूत निवासी खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
4. उप पंजियक महोदय गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

------मदयूनान

दावा अन्तर्गत धारा 88,188

राज0 काश्त0 अधिनियम 1995

—:आदेशः—

अतः दावा वादी अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादीगण को वाके ग्राम खेड़ामहमूद हाल तहसील गोविन्दगढ़ के आराजी खसरा नं. 1178, 1193 में 1/96 भाग में समभाग एवं खसरा 1039, 1067, 1310/1068 कुल रकबा 0.2781 है0 में 1/24 भाग में समभाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

तहसीलदार गोविन्दगढ़ को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावें।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

आज दिनांक 04.07.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)